2019 का विधेयक संख्यांक 191

[दि सुप्रीम कोर्ट (नम्बर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

1956 का 55 5

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, "तीस" शब्द के स्थान पर, "तैंतीस" शब्द रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के उच्चतम न्यायालय में तुलनात्मक रूप से मामलों के संस्थित होने की उच्चतर दर के कारण लंबित मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है । 1 जून, 2019 तक उच्चतम न्यायालय में 58,669 मामले लंबित थे । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया है कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या उच्चतम न्यायालय में मामलों के बैकलॉग के मुख्य कारणों में से एक कारण है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान् प्रश्न को अन्तर्वलित करने वाले मामलों की नियमित आधार पर सुनवाई करने के लिए पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ गठित करना संभव नहीं है जिसका परिणाम खंड न्यायपीठों का कम संख्या में गठन करना है जिसके कारण अन्य सिविल और दांडिक मामलों की सुनवाई में विलंब होगा ।

2. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्यायाधीशों की पोषक काडर संख्या 906 से बढ़कर 1,079 हो गई है और वर्तमान में, पूर्ववर्षों में नए उच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं । इस कारण उच्च न्यायालय स्तर पर मामलों के निपटान में वृद्धि हुई है जिसका परिणाम उच्चतम न्यायालय में अधिक संख्या में अपीलें किया जाना है।

3. अतः, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को, वर्तमान में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर, तीस से बढ़ाकर तैंतीस करने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
31 जुलाई, 2019

रवि शंकर प्रसाद

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या को, (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर), तीस से बढ़ाकर तैंतीस करने के लिए है । इससे अपेक्षित कर्मचारिवृन्द सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के तीन अतिरिक्त पदों के सृजन पर वेतन और भत्तों के कारण व्यय में वृद्धि होगी । न्यायाधीश, किराया मुक्त सरकारी निवास के उपयोग के लिए भी हकदार होंगे । प्रत्येक न्यायाधीश को निवास और कार्यालय में वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द भी उपलब्ध कराने होंगे । न्यायाधीशों की सुरक्षा के परिनियोजन के सम्बन्ध में भी व्यय उपगत किया जाएगा ।

2. प्रतिवर्ष 5,37,54,528 रुपए की आवर्ती व्यय की रकम में तीन न्यायाधीशों और उनके कर्मचारिवृन्दों का वेतन, आवास, जल, विद्युत, चिकित्सा, वाहन, अवकाश यात्रा रियायत और सुरक्षा के परिनियोजन के सम्बन्ध में 60,00,000 रुपए का व्यय तथा कार और शासकीय निवास के साज-समान के मद्दे 84,00,000 रुपए का अनावर्ती व्यय सम्मिलित होगा । इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के अतिरिक्त तीन पदों के सृजन पर कुल व्यय 6,81,54,528 रुपए होगा ।

3. यदि विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो इसमें किसी अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय के अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

उपाबंध

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 55) से उद्धरण

* * * * * *

मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या ।

2. भारत के मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तीस होगी ।

* * * * * *

MGIPMRND—2287LS(CRC)—31-7-2019.